



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128278

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 18780 वर्ष 2026

सुरेन्द्र पाल उर्फ शौकीन

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आकाश तोमर

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., कुमुद कुमार, पवन सुत

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. नवीन मामलों की सूची को पुनरावृत किया गया है।
2. दोबारा पुकार के बाद भी प्रथम सूचनादाता/परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
4. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक द्वारा थाना सिंघावली अहीर, जिला बागपत से संबंधित वाद अपराध संख्या- 257 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 108 बी.एन.एस. में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
5. मैंने प्राथमिकी में दी गई अभियोजन की कहानी और जमानत अस्वीकृति आदेश का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह आगे तर्क देते हैं कि प्राथमिकी मृतक सलमान की, जिसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, मृत्यु के 40 दिनों की अवधि के बाद दर्ज की गई थी। वह यह भी तर्क देते हैं कि प्राथमिकी में भी आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं है और उसका नाम नौ महीने की अवधि के बाद सामने आया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक के विरुद्ध न तो कोई प्रत्यक्षदर्शी है और न ही कोई परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, तथा प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व भी ऐसी कोई शिकायत नहीं थी कि आवेदक ने मृतक को धमकी दी थी जिसके कारण उसने आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 19.04.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए और इस चरण पर मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया जमानत के लिए एक मामला बनता है। हालांकि, उक्त प्रथम दृष्टया विचार विचारण की कार्यवाही में अभियोजन के मामले को किसी भी तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

9. जमानत की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। आवेदन स्वीकार किया जाता है।

10. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- सुरेन्द्र पाल उर्फ शौकीन को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

(i) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के दौरान वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और कानून के अनुसार आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करे।

11. ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, विपक्षी पक्ष जमानत रद्द कराने के लिए इस न्यायालय में आने के लिए स्वतंत्र है।

(माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।